डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-182

New Delhi: 06.03.2019

Shri Pooran Singh
S/o Sh. Banke Lal
R/o- Village Ghasa Ka Purva
Post-Naugava, Tehsil-Vidhuna
District-Auraiya
Mob.-9415611892

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your Application dated 06.12.18 received in this office through CPM/Tundla's office on 11.02.19.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 09 Sheets

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांक सं0– CNR/FN/RTI/16(A)/V-19(5)

Date- 31-01-2019

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टूण्डला (आगरा)

विषय : श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बांकेलाल, निवासी ग्राम घसा का पुरूवा, नौगंवा, पो0–कंचौसी बजार, तहसील–बिधूना, जनपद–औरैया द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रार्थी का पत्र दिनांक 16.01.19 व 06.12.18

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बांकेलाल, निवासी ग्राम घसा का पुरूवा, नौगंवा, पो0–कंचौसी बजार, तहसील–बिधूना, जनपद–औरैया द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गई हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु गाटा सं0 457/4, ग्राम–नौगंवा, तह0–बिधूना, जिला–औरैया, का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया गया हैं। उक्त ग्राम का अभिनिर्णय वाद सं0 01/2008–09 दिनांक 08.02.2010 सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें गाटा सं0 457/4 के रकबा 0.3220 में से रकबा 0.0920हे0 बहिष्कृत कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा इस अभिनिर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 46531/2012 दायर की गई थी। जिसमें पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर द्वारा आदेश दिनांक 11.11.16 (प्रति संलग्न) पारित किया गया। तदानुसार श्री पूरन सिंह पुत्र बाकेंलाल को उनकी हिस्साकशी (रकबा 0.2667हे0) के अनुसार देय कुल धनराशि रू0–9,86,743/– (शब्दों में–नौ लाख छियासी हजार सात सौ तिरालिस) का भुगतान कर दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना में प्रभावित परिसम्पति का भुगतान रू0–1,23,200/– (शब्दों में–एक लाख तेईस हजार दो सौ मात्र) भी डी0डी0 के माध्यम से कर दिया गया हैं। ब्याज दिये जाने का प्रावधान वर्तमान नियमों में नहीं हैं।

श्री पूरन सिंह द्वारा माननीय अवमानना याचिका (सिविल) सं0 1069/2017, पूरन सिंह बनाम संजय चौरसिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में, तत्कालीन उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक के पत्र सं0–मा0 उच्च न्यायालय/रिट याचिका सं0 46531/2012 अवमानना याचिका सं0 1069/2017 दिनांक 18.03.2017 (प्रति संलग्न) एंव आपके पत्र सं0 मा0 उच्च न्यायालय/अवमानना याचिका सं0 1069/2017 दिनांक 31.03.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा श्री पूरन सिंह को पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्तानुसार।

31/1/2019

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-.2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

कार्यालय–सक्षम प्राधिकारी/अपरजिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर।

आदेश

रिट याचिका सं0–**46531/2012** में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-09-2016 के अनुपालन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 की पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु जनपद–औरैया तहसील–बिधूना के ग्राम–नौगवां के गाटा सं0–457/4 रकबा 0.3220हे0, भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अन्तर्गत अधिसूचना की धारा–20ई दिनॉक 12–12–2008 को निर्गत की गई थी, तथा प्रकाशन सम्बन्धी सभी औपचारिकतॉयें पूर्ण कराने के उपरान्त परियोजना में आवश्यकता न होने के कारण आराजी सं0–457/4 रकबा 0.0920हे. भूमि को अभिनिर्णय से बहिष्कृत करते हुये आराजी सं0–457/4 रकबा 0.2300हे0, भूमि का अभिनिर्णय वाद सं0–01/2008–09, दिनॉक 08–02–2010 को घोषित किया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 20–09–2016 के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा–20ई में प्रकाशित किन्तु, अभिनिर्णय में बहिष्कृत प्रश्नगत आराजियों के कुल क्षे0–0.0920हे0 भूमि के, घोषित अभिनिर्णय दिनॉक 08–02–2010 में निर्धारित दर पर निम्नानुसार प्रतिकर व ब्याज की धनराशि देय होगी।

गाटा सं0	अभिनिर्णय में बहिष्कृत क्षेत्रफल हे0 में	पूर्व अभिनिर्णय में निर्धारित दर (प्रति हे0)	प्रतिकर (रू0)	साठ प्रतिशत सोलेशियम (रू0)	5% प्रति माह ब्याज की धनराशि अभिनिर्णय की घोषणा दो माह विलम्ब हेतु (रू0)	कुल देय धनराशि (रू0)
457/4	0.0920हे0	3,70,000.00	34,040.00	20,424.00	5,446.00	59,910.00

अतः तदानुसार रिट याचिका सं0–46531/2012 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20–09–2016 के अनुपालन में अधिसूचना धारा–20ई दिनॉक 12–12–2008 में सम्मिलित, किन्तु अभिनिर्णय में बहिष्कृत क्षेत्रफल 0.0920हे0 भूमि की धनराशि रू0 59,910.00 (उनसठ हजार नौ सौ दस रूपये मात्र) याचीगण को देय होगी।

(समीर वर्मा)
सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी
(भूमि अध्याप्ति)
कानपुर नगर।

पत्र सं0 ।ने डी/अ0जि0(भू0अ0)कानपुर नगर

दिनांकः– 11.11.16

प्रतिलिपिः– मुख्य परियोजना प्रबन्धक/डी0एफ0सी0सी0आई0एल/टुण्डला (आगरा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/11/16

(समीर वर्मा)
सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी
(भूमि अध्याप्ति)
कानपुर नगर।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्र सं0– मा0 उच्च न्यायालय/अवमानना याचिका सं0–1069/2017 दिनांक–31.03.17

श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बांकेलाल,
निवासी–ग्राम–घसा का पुरवा,
पोस्ट–नौगवां तहसील–बिधूना,
जनपद–औरैया।

विषयः–अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017, पूरन सिंह बनाम संजय चौरसिया चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–07.03.2017 के अनुपालन के सम्बंध में।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, की पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम–नौगवां, तहसील–बिधूना, जनपद–औरैया की एलाइन्मेंट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अंतर्गत किया गया हैं. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धारा 20ए की अधिसूचना का0आ0 सं0 1424 (अ) दिनांक 10 जून 2008, एंव धारा 20ई की अधिसूचना का0आ0 सं0 2903 (अ) दिनांक 12 दिसम्बर 2008, का गजट प्रकाशन के उपरान्त नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय वाद सं0–01/2008–09, दिनांक–08.02.2010 घोषित किया गया था। इस अभिनिर्णय के विरूद्ध आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0–46531/2012 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक–20.09.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में आप द्वारा विषयगत अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017 दायर की गई। इस अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 07.03.17 के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के अन्दर रिट याचिका सं0 रिट याचिका 46531/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.09.2016 का अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया गया हैं । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुस्पष्ट स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें:–

1. आप द्वारा मूल रिट याचिका सं0–46531/2012 श्री पूरन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दायर की गई, जिसमें निम्नलिखित को प्रतिवादी बनाया गया था ।
   - (1) यूनियन ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे भवन, नई दिल्ली,
   - (2) डीएफसीसीआईएल मैनेजिंग डायरेक्टर, पांचवा तल, प्रगति मैदान, मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली,
   - (3) मुख्य परियोजना प्रबंधक, डीएफसीसीआईएल, 117/एच–2/180, पाण्डु नगर, कानपुर,
   - (4) सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर,
   - (5) जिलाधिकारी, औरैया,
   - (6) तहसीलदार–बिधूना, औरैया। अधोहस्ताक्षरी को कमांक 03 पर प्रतिवादी बनाया गया था।

   अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी सं0 03 बनाया गया।

2. उक्त रिट याचिका सं0–46531/2012 में निम्नलिखित आदेश दिनांक–20.09.2016 पारित किया गया है:–

"In view of the statements made by learned counsel for the parties, the writ petition is partly allowed. The respondent shall pay compensation to the petitioner for the acquired land along with the additional compensation in terms of the judgment of this Court in Dedicated Freight Corridor Corporation of India (Supra), within a period of two months from today."

3. विषयगत भूमि के भू अर्जन हेतु प्रभावी रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ही प्रतिकर निर्धारण के लिये अधिकृत हैं। वर्तमान में अपर जिलाधिकारी/(भू0अर्जन), कानपुर नगर, कानपुर परियोजना हेतु जिला–औरैया में भू0 अर्जन हेतु अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी हैं।

4. उपरोक्त आदेश दिनांक–20.09.2016 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस कमांक 1209/आठ–अ0जि0 (भू0अ0), कानपुर नगर दिनांक 18.11.16 के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि किसी भी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट अविलम्ब प्राप्त कर लें, अन्यथा किसी भी विलम्ब के आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

5. उपरोक्त नोटिस के सम्बन्ध में, आपने पत्र दिनांक 24.11.16 के द्वारा अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने वाली धनराशि का विवरण लिखित रूप से, उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई। इसी सम्बन्ध में, आपकी अपेक्षानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंत्राक सं0 1378/आठ–अ0जि0 (भू0अ0), कानपुर नगर दिनांक 26.12.16 के माध्यम से आपको यह अवगत करा दिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.16 के अनुपालन में रू0 52,421.00 तथा पूर्व में अभिनिर्णीत धनराशि रू. 1,22,507.00 सहित कुल धनराशि रू. 1,74,928.00 (रूपये एक लाख चौहत्तर हजार नौ सौ अठाईस मात्र) का भुगतान किया जा रहा हैं।

6. सक्षम प्राधिकारी के उक्त 26.12.16 के सन्दर्भ में, अभी तक आपने अपना पक्ष अथवा आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में नहीं दिया और न ही प्रतिकर विषयक बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट ही प्राप्त किया हैं।

7. परियोजना हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान में, आपसे आवश्यक प्रपत्र एंव बैंक खाता सं0 प्राप्त न होने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि आपके खाते में भी जमा करना संभव नहीं हो पा रहा हैं। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके पक्ष में, प्रतिकर भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया हैं।

8. आप द्वारा दायर रिट याचिका सं0 46531/2012 के प्रस्तर 12 में, उल्लिखित हिस्सा के अनुसार, गाटा सं0 457/4 के कुल प्रभावित रकबा 0.3220 में से अन्य भूस्वामी का रकबा 0.0150हे0 घटाकर शेश रकबा 0.3070हे0 के 7/8 भाग का भुगतान किये जाने हेतु बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया हैं। जिसकी मान्य अवधि पुनः बढाई जा चुकी है।

9. यदि आप उपरोक्त बिन्दु 7 में उल्लिखित अपने हिस्से/अंश से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त आधार पर प्रतिकर प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो संशोधित प्रमाणित हिस्साकशी सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायें ताकि संशोधित अंश के अनुसार देय प्रतिकर का भुगतान किया जा सके।

10. आपने अवमानना याचिका 1069/2017 के प्रस्तर 11 पर यह उल्लेख किया हैं कि विषयगत अर्जित भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक दिनांक 01.12.2009 घोषित कराया गया हैं, जबकि उक्त भूमि के अर्जन हेतु रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 की धारा 20ए की अधिसूचना का0आ0 सं0 1424 (अ) दिनांक 10 जून 2008, को प्रकाशित हो चुकी थी । तत्समय विशयगत भूमि सामान्य कृषि भूमि थी। इस प्रकार आप द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन 20ए की अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त कराया गया हैं, जो रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अन्तर्गत अर्जित भूमि के प्रतिकर निर्धारण में प्रभावी नहीं हैं।

11. आपने अवमानना याचिका 1069/2017 के प्रस्तर 21 पर यह उल्लेख किया हैं कि आप रू.– 2,57,253.62 पाने के लिये पात्र हैं । इस सम्बन्ध में, स्पष्ट करना है कि आप द्वारा वांछित प्रतिकर रू0 2,57,253.62 की गणना आपके अन्य सहखातेदारों का हिस्सा मिलाकर तथा 12प्रतिशत ब्याज जोड़कर की गई हैं जबकि आपको देय प्रतिकर रू0 1,74,928.00(रूपये एक लाख चौहत्तर हजार नौ सौ अठाईस मात्र) अन्य सहखातेदारों का हिस्सानुसार प्रतिकर घटाकर निर्धारित किया गया हैं । मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका सं0–46531/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.09.2016 में, 12 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का कोई निर्देश नही हैं। आपकी भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अन्तर्गत किया गया हैं एंव उक्त अधिनियम की धारा 20एफ में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप अर्जित भूमि के प्रतिकर का आगणन कर देय धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया हैं। जिसे आप द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हैं।

अतः आपको सूचित किया जाता हैं, कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 46531/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.09.16 के अनुपालन में, अर्जित भूमि के पुनरीक्षित प्रतिकर, को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त कर लें, अन्यथा मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना एंव किसी भी विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

31/3

(अतुल बी0 खरे)
मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टुण्डला/आगरा

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्र सं0–मा0 उच्च न्यायालय/अवमानना याचिका सं0–1069/2017 दिनांक–31.03.17

सेवा में,

रजिस्ट्रार
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
उ0प्र0,

विषय अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017, पूरन सिंह बनाम संजय चौरसिया चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–07.03.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष रेल मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम–नौगवां, तहसील–विधूना, जिला–औरैया की एलाइनमेंट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अन्तर्गत करते हुए अभिनिर्णय वाद सं0–01/2008–09, दिनांक–08.02.2010 सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किया गया था। जिसके विरूद्ध रिट याचिका सं0–46531/2012, श्री पूरन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दायर की गई थी। इस रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन कराये जाने हेतु अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017 याची द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–07.03.2017 को आदेश पारित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017 में पारित आदेश दिनांक–07.03.2017 का अनुपालन करते हुए याची को अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0–मा0 उच्च न्यायालय/अवमानना याचिका सं0–1069/2017, दिनांक–31.03.2017 द्वारा तथा संजय चौरसिया, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, कानपुर के पत्र सं0– मा0 उच्च न्यायालय/रिट याचिका सं0–46531/2012, अवमानना याचिका सं0–1069/2017, दिनांक–18 मार्च,2017 द्वारा पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया गया हैं।

मूल रिट याचिका सं0–46531/2012, श्री पूरन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में अधोहस्ताक्षरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को क्रमांक–03 पर प्रतिवादी बनाया गया था। अतएव मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवमानना याचिका (सिविल) सं0–1069/2017 में पारित आदेश दिनांक–07.03.2017 का अनुपालन अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर लिया गया है। कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए सम्बन्धित रिट याचिका की पत्रावली में अनुपालन आख्या संकलित कराने की कृपा करें।

संलग्नक:–सम्बन्धित पत्रों की छायाप्रति।

31/03/17

(अतुल बी0 खरे)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला (आगरा)

Chief Project Manage, Tundla (Agra) office address:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi, Near Tulsi Cinema, NH-02 AGRA (282002)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांकः--मा0 उच्च न्यायालय/रिट याचिका सं0--46531/2012, अवमानना याचिका सं0--1069/2017

दिनांकः--18.03.2017

श्री पूरन सिंह पुत्र श्री बांकेलाल,
निवासी--ग्राम--घसा का पुरवा,
पोस्ट--नौगवां, तहसील--बिधूना,
जनपद--औरैया।

विषयः अवमानना याचिका (सिविल) सं0--1069/2017, पूरन सिंह बनाम संजय चौरसिया चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक--07.03.2017 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, की पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम--नौगवां, तहसील--बिधूना, जनपद--औरैया की एलाइन्मेंट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम--2008 के अंतर्गत नियमानुसार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय पास सं0--01/2008--09, दिनांक--08.02.2010 घोषित किया गया था। इस अभिनिर्णय के विरूद्ध आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0--46531/2012 दायर की गई थी। जिसमें पारित आदेश दिनांक--20.09.2016 के अनुपालन में विषयगत अवमानना याचिका (सिविल) सं0--1069/2017 दायर की गई, जिसमें आदेश दिनांक--07.03.2017 पारित हुआ है। इस सम्बंध में कृपया निम्नलिखित स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें:--

1. आप द्वारा मूल रिट याचिका सं0--46531/2012 श्री पूरन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दायर की गई थी। जिसमें अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। उक्त मूल रिट याचिका सं0--46531/2012 में प्रतिवादियों की सूची इस प्रकार है। (1) यूनियन ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे भवन, नई दिल्ली, (2) डीएफसीसीआईएल मैनेजिंग डायरैक्टर, पांचवा तल, प्रगति मैदान, मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली, (3) मुख्य परियोजना प्रबंधक, डीएफसीसीआईएल, 117/एच--2/180, पाण्डु नगर, कानपुर, (4) सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर, (5) जिलाधिकारी, औरैया, (6) तहसीलदार--बिधूना, औरैया।
2. उक्त रिट याचिका सं0--46531/2012 में पारित आदेश दिनांक--20.09.2016 में कोई आदेश अधोहस्ताक्षरी को कार्यवाही हेतु नहीं दिया गया था।
3. अवमानना याचिका (सिविल) सं0--1069/2017 में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी सं0--1 बनाया गया है। जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिवादी सं0--1 मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर नहीं हैं।
4. वर्ष--2012 से पूर्व में मुख्य परियोजना प्रबंधक, कार्यालय कानपुर में संचालित था किन्तु तदोपरांत मुख्य परियोजना प्रबंधक, कार्यालय, टुण्डला (आगरा) में संचालित है तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक, कार्यालय के पद पर श्री अतुल वी0 खरे कार्यरत हैं। जिनके नियंत्रण में डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 की एक लघु ईकाई कानपुर में श्री बी.एस. जरयाल, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, कानपुर के नेतृत्व में परियोजना का कार्य कर रही है।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-.2225124 Mobile 7060803012, E-mail – bsjaryal15@gmail.com, Website www.dfccil.gov.in

18/3/17

5. रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की विशेष रेल परियोजना पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर हेतु भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अंतर्गत करने तथा सम्बंधित प्रतिकर आदि के निर्धारण का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी का कार्य अवमानना याचिका के क्रमांक–02 पर उल्लिखित प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है।

6. रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अनुसार रेल मालभाड़ा परियोजना हेतु भूमि के अर्जन करने, प्रतिकर का निर्धारण/वितरण करने तथा अन्य सम्बंधित कार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर ही अधिकृत हैं, तदानुसार उनके द्वारा ही उक्त कार्यवाही की जाती है।

7. अधोहस्ताक्षरी उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, इन्जीनियरिंग, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर के पद पर भारतीय रेल से प्रतिनियुक्ति पर सीमित अवधि हेतु कार्यरत हैं। जिसे रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अंतर्गत भू–अर्जन एवं अर्जित भूमि के प्रतिकर निर्धारण एवं वितरण आदि के सम्बध में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। विषयगत अवमानना याचिका एवं पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के विषय में सत्य जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

8. आप द्वारा दायर योजित विषयगत् अवमानना याचिका में संलग्न अनेक्जर–05 व अनेक्जर–07 के नोटिस/पत्र, सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर, (अवमानना याचिका में प्रतिवादी सं0–02) द्वारा निर्गत किये गये है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अनेक्जर–07 के माध्यम से प्रतिकर निर्धारण सम्बन्धी जानकारी से आपको अवगत कराते हुए उक्त अनेक्जर–06 के माध्यम से आपसे यह अपेक्षा की गई है कि मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं0–46531/2012, श्री पूरन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनाक–20.09.2016 के अनुपालन में प्रतिकर की धनराशि के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त कर लें अन्यथा किसी भी विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तर दायी होंगे। इससे स्पष्ट है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु पर्याप्त कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर द्वारा की गई है। किन्तु आप द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया। उक्त नोटिस की प्रति संलग्नक–1 एवं पत्र की प्रति संलग्नक–2 के रूप में इस पत्र के साथ प्रेषित है। रिट याचिका सं0–46531/2012 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–20.09.2016 के पूर्ण रूप से अनुपालन हेतु पुनरीक्षित प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर की समस्त धनराशि सक्षम प्राधिकारी के भू–अर्जन सम्बन्धी खाते में उपलब्ध है।

9. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0–46531/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.09.2016 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर द्वारा अपने पत्रांक–1378/आठ–अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर/जारी दिनांक–26.12.2016 (अवमानना याचिका में संलग्नक–07) द्वारा आपको यह सूचित किया जा चुका है कि उक्त आदेश के अनुपालन में रू0–52,421.00 तथा पूर्व में अभिनिर्णीत धनराशि रू0–1,22,507.00 कुल रूपया–1,74,928.00, की धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा आपको किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा, डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक–35010443 दिनांक–19.11.2016 (बढायी गई तिथि 17.06.2017 तक मान्य) तैयार कराया गया था जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्नक–3

Sanjay
18/3/17

Office Of Dy.Chief Project Manager-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012, E-mail – bsjaryal15@gmail.com, Website www.dfccil.gov.in

के रूप में प्रेषित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस दिनांक–19.11.2016 के अनुसार उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट आपके द्वारा सक्षम प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

10. आपकी अवमानना याचिका में आप द्वारा वांछित प्रतिकर की धनराशि सक्षम प्राधिकारी के पत्रांक–1378/आठ–अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर/दिनांक–26.12.2016 (अवमानना याचिका में संलग्नक–05) में उल्लिखित धनराशि से भिन्न है। यदि आप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित प्रतिकर की गणना से संतुष्ट न हों तो, यदि आप चाहें तो अपना पक्ष सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें अथवा यदि आप चाहें तो रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 की व्यवस्था के अनुसार मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के समक्ष विधिमान्य आवेदन प्रस्तुत करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की विशेष रेल परियोजना हेतु, रेलवे (संशोधित) अधिनियम–2008 के अंतर्गत अर्जित भूमि के प्रतिकर आदि के सम्बंध में उक्त प्रकरण के विषय में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पूर्ण एवं सत्य स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें तथा सक्षम प्राधिकारी के नोटिस दिनांक–19.11.2016 (संलग्नक–2) के अनुसार अपना प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त कर लें अन्यथा नोटिस के अनुसार किसी भी विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तर दायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Sanjay 18.3.17

(संजय चौरसिया)
उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/
इन्जीनियरिंग
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
कानपुर

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012, E-mail – bsjaryal15@gmail.com, Website www.dfccil.gov.in